

न्यायलय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर



A301-

R-5135-II/16

1. रामबदन शुक्ला तनय श्री अवधेश प्रसाद शुक्ला उम्र-50 वर्ष निवासी ग्राम-
नयागांव तह0 मझगवां जिला-सतना (म0प्र0)
2. तुलसीदार उरमलिया तनय श्री रामप्रताप उरमलिया उम्र-49 वर्ष निवासी
कारीतलाई तह0 बिजराघवगढ़ जिला-कटनी हा0नि0 नयागांव तह0 मझगवां
जिला-सतना (म0प्र0) निगराकारगण

बनाम

श्रीमती गीता देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद मिश्र उम्र-42 वर्ष निवासी ग्राम
नयागांव तह0 मझगवां जिला-सतना (म0प्र0) गैरनिगराकारगण

श्री. सतेन्द्र सिंह
द्वारा आज दिनांक 11-3-16 के
प्रस्तुत किया गया।
सिडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध राजस्व निरीक्षक मण्डल
चित्रकूट, तह0 मझगवां जिला-सतना म0प्र0
राजस्व प्रकरण कमांक 35 अ 12/2012-13
पारित आदेश दिनांक 28/06/2013
निगरानी अन्तर्गत धारा ...म0प्र0मू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

प्रार्थी निगराकारगण निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत
कर विनय करते हैं :-

निगरानी का संक्षिप्त विवरण

यह कि गैरनिगराकार द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल चित्रकूट जिला-सतना
म0प्र0 के समक्ष ग्राम नयागांव की आराजी नं0 892/6ख/12/6 रकवा 0.
020हे0 यानि $30 \times 75 = 2250$ वर्गफिट भूमि के सम्बन्ध में सीमांन हेतु आवेदन देना
उल्लेख किया गया है जिसके विकय पत्र में स्पष्ट रूप से दक्षिणी दिशा में
हनुमानधारा पहुंचमार्ग लेख है। उक्त विकय पत्र राजस्व निरीक्षक को प्रेषित किया
गया था। किन्तु राजस्व निरीक्षक मण्डल चित्रकूट द्वारा न तो मौके से सरहद्दी
कास्तकारों को सूचना दी गयी और न ही मौके में सीमांकन कार्य किया गया एवं
दिनांक 10/06/2013 को प्रकरण में संलग्न सूचना के आधार पर ऐसा प्रतीत
होता है कि एक ही दिन में सूचना तैयार कर एवं उसी दिनांक 10.06.2013 को
स्थल पंचनामा तैयार कर एवं सीमांकन प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक द्वारा तैयार कर

(Signature)

सतेन्द्र सिंह

(Signature)


291

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग.5135 / II-2016

जिला-सतना

रामबदन शुक्ला / गीता देवी

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सतेन्द्र सिंह परिहार उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल चित्रकूट, तहसील मझगवां के प्रकरण क्रमांक 35/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p>	<p> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>